राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	432/2011 नाथू बनाम मदनलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/06/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/06/2026 को पेश हो।	
04/06/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रिस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03/08/2011 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित राजस्व रिकार्ड खाता सं. 16 में वर्णित ख.नं. 749/1207 रकबा 0.58 है., ख.नं. 750/1208 रकबा 0.46 है., ख.नं. 753 रकबा 0.07 है., ख.नं. 811 रकबा 0.01 है., ख.नं. 812 रकबा 1.05 है., ख.नं. 813 रकबा 0.12 है., ख.नं. 814 रकबा 0.11 है., ख.नं. 815 रकबा 0.75 है. कुल किता 8 रकबा 3.15 है. के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 की सहखातेदारी की अदिभाजित कृषि भूमि है, जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 3 का 1/2 हिस्सा है. जिसका अंकन जमाबन्दी संवत 2061 से 2064 में है। ग्राम पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित खाता सं. 233 में वर्णित ख.नं. 747 रकबा 0.81 है., ख.नं. 747/1031 रकबा 0.40 है., ख.नं. 748 रकबा 0.85 है., ख.नं. 816/1224 रकबा 0.10 है., ख.नं. 819 रकबा 0.97 है., ख.नं. 819/1226 रकबा 0.02 है. कुल किता 6 रकबा 3.15 है. के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगा. 2 की सहखातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है, जिसमें वादी हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी सं.1 हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 1/3 है। खाता सं. 233 में वर्णित ख.नं. 817 रकबा 0.06 है., ख.नं. 818 रकबा 0.85 है., ख.नं. 822/1227 रकबा 0.07 है., ख.नं. 815/1222 रकबा 0.10 है., ख.नं. 748/1205 रकबा 0.30 है., ख.नं. 749/1206 रकबा 0.17 है. कुल किता 6 रकबा 1.55 है. की वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 5 की सहखातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है, जिसमें वादी का हिस्सा 1/12 व प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/12 व प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 1/12 तथा प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा 3/4 है जिसका अंकन जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 में है। भूमि का मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में वादीगण व प्रतिवादीगणों के मध्य कृषि भूमि का विभाजन (तकासमा) "मीटस एण्ड बाउण्डस" वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनसार दर्ज एवं धारित भूमि का विधिवत रूप से हिस्से अनुसार विधिवत कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथू बनाम मदनलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	432/2011	

03/08/2011 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के अनुरूप ही अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपील के माध्यम से उठाई गयी तकनीकी आपत्ति के आधार पर अनावश्यक लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त नही समझा जाता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03/08/2011 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |